

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी- दमयंती कंवर आर.ए.एस.

विक्रम सिंह पुत्र शिवप्रसाद जाति मेघवाल निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।	-बनाम-	राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसील नवलगढ़।
--	--------	---

किस्म मुकदमा - दावा बाबत खाता विभाजन।	मु.नं. 99/2021
	GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------------

29.09.21 आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह जाखल द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 12.10.2021 को पेश हो।

9
दमयंती कंवर (R.A.S.)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

12/10/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी प्रह्लाद दार/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 26.11.2021 को पेश हो।
Sanyal

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

15/12/2021 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के तहत के डेम्प बुगाला में पेश हुई। डेम्प तहसीलदार नवलगढ़ के लिपेट उर्फ कि गई। जिसे लिपेट अनुसार वाद वादी मुताबिक चोट उल्लेख अनुतोष स्वीकार किया गया सम्बन्धित प्रतिवेदन।

निर्णय

वाद वादी मुताबिक चोट उल्लेख अनुसार सम्बन्धित लेने से स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र व तहसीलदार नवलगढ़ के लिपेट निर्णय का भाग लेगी। उल्लेख पृष्ठ से जारी है। पत्रावली फेजल शुमार है कम्प्लेट है कम है वाद तहसील जाया हाजिल कम्प्लेट है तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक डेम्प रजिस्ट्रार लिपेट में डमल है। पत्रावली फेजल शुमार है।

सुमन साहनी RAS
शिडिर प्रभारी
प्रशासन गाँवों के संग अभि 2021, सं.स. नवलगढ़
उपलब्ध अभिलेखीय प्रतिलिपि

ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत ~~दोषणीय करिउडि दुहस्त~~

मुकदमा सं०:- 99/21 (~~विउम~~ वगै० बनाम ~~राज साखा~~)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13-12-2021. निर्णयानुसार राजस्व ग्राम

~~खुगाला मे 36981 मुकदमा~~
~~विउम बनाम राज साखा, मु० नं० 99/21 मे प्रहृत वाड वाडी मे चौह~~
~~उपे अनुलोष अनुसा स्वीकार किया जाता है वाडपत्र व तहसीलदा नवलगढ~~
~~डि रिपीट निर्णय का भाग बिकी। वाडपत्र मे चौह उपे अनुलोष अनुसा रात्रा डि डि मे~~
तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल इन्हि का 9
दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना
वहन करेगे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-..... का अदा करे।

बसक्ष मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख.माह सन 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	.00

बीमान

भाषांतर A.C.E.M नक्शा के विचारधीन

उपरोक्त में गुम कुमाल के ला.न. 184 क्र.न. 992, 993, 994, क्रि.उ. 3
 कुल रकम 10.11 है मैं लालेदार संजय उ. शिवउताड दि. 1/27 जारी मेथवात
 सा.डे.ए. के नामान रिमिट है। जिसे प्रार्थी विक्रम उ. शिवउताड कुछ
 करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इतराकेज, परिवार राशन कार्ड,
 मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व शाकिंग लाइसेंसिंग
 में लालेदार मा लक्ष्मी नाम विक्रम उ. शिवउताड है।

अतः गुम कुमाल के ला.न. 184 क्र.न. 992, 993, 994 में प्रार्थी का नाम संजय उ. शिवउताड के स्थान पर विक्रम उ. शिवउताड किया जाता उचित है।

~~मामर~~
 13/12/2021
 पं. कुमाल

41)
 1/12/2021

13/12/2021
 तहसीलदार नवलगढ़



Reader

जांच कर रिपोर्ट करें।

५/२/१९२१

न्यायालय ए.सी.ई.एम. साहब,
नवलगढ।

विक्रम पुत्र श्री शिव प्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम बुगाला
तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज०) फोन - ७७३३९११८३

—वादी

बनाम

राजस्थान-सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, नवलगढ जिला
झुन्झुनू (राज०)

—प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती नाम

महोदय,

वादी निम्नानुसार वाद-पत्र सेवामे पेश करता है:-

- (1) यह कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद
मे नया खाता संख्या 184 पुराना 182 के अन्तर्गत भूमि खसरा
नम्बर 992 रकबा 5.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 2.86
हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 2.16 हैक्टर कुल किता 3 कुल
रकबा 10.11 हैक्टर स्थित है, जिसके संबंध मे ^{काहिला १/२ दर्ज है} वादी उक्त
वाद-पत्र घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती नाम सेवामे पेश कर रहा
है।

Vikram

- (2) यह कि वादी का नाम विक्रम है तथा इसी नाम से पहचाना व जाना जाता था। वादी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, ड्राइवर लाईसेन्स, बैंक पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र आदि समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम विक्रम है, परन्तु वाद-पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का नाम विक्रम के बजाय संजय दर्ज हो गया, जबकि सही नाम विक्रम है। इसलिये वाद-पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संजय के स्थान पर विक्रम दुरुस्त किया जावे, जिसके लिये उक्त दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती नाम का श्रीमान की सेवामे पेश किया जा रहा है।
- (3) यह कि उपरोक्त प्रकार की गलती एक टेक्नीकल एरर है, वादी का सही नाम विक्रम है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संजय के स्थान पर विक्रम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।
- (4) यह कि उक्त भूमि में अन्य खातेदारों के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई है, इसलिये इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

- (5) यह कि उक्त वाद के लिये वादाधिकार वादी द्वारा अपनी जमीन की जमाबन्दी निकलवाई तब उक्त नाम गलत होने का इल्म हुआ, इस पर वादी ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से नाम दुरुस्त करना चाहा तो पटवारी हल्का ने श्रीमान के यहां नाम दुरुस्त करवाने के कहने के रोज अदालत हाजा मे पैदा हुआ।
- (6) यह कि वाद-पत्र 4/- रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।
- (7) यह कि पक्षकारान व भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद-पत्र सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।
- (8) यह कि वाद-पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
- (9) अतः वाद वादी मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद-पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद मे नया खाता संख्या 184 पुराना 182 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 992 रकबा 5.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 2.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 2.16 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 10.11 हैक्टर मे भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 का लाभ देते हुये वादी का

vikram

ASmyh AL

नाम संजय के स्थान पर विक्रम दुरुस्त करने की कृपा करे
तथा दुरुस्ती हेतु प्रतिवादी को तहरीर जारी की जावे। अन्य
सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक मे पड़ती हो
वह भी दिलाई जाने की कृपा करे।

दिनांक: 27/9/21

vikram

प्रार्थी

विक्रम पुत्र श्री शिव प्रसाद जाति
मेघवाल निवासी ग्राम बुगाला तहसील
नवलगढ जिला झुन्झुनू।

तस्दीक

मै, विक्रम पुत्र श्री शिव प्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम बुगाला
तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आज बमुकाम नवलगढ शपथपूर्वक
तस्दीक करता हूं कि वाद-पत्र मे दर्ज मद संख्या 1 लगायत अन्तिम
मेरी स्वयं की जानकारी मे व मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह से
सही व सत्य होना स्वीकार करता हूं।

दिनांक: 27/9/21

vikram

sd
Singh

न्यायालय ए.सी.ई.एम. साहब,
नवलगढ।

विक्रम

बनाम

राज. सरकार

दावा

शपथ - पत्र

मै, विक्रम पुत्र श्री शिव प्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आज बमुकाम नवलगढ शपथपूर्वक बयान करता हूं कि:-

- (1) यह कि वाद-पत्र मे दर्ज मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी मे सही व सत्य है तथा वाद-पत्र मे दर्ज मद संख्या 1 लगायत अन्तिम को मेरी जानकारी मे सही व सत्य होना स्वीकार करने के लिये ही मै यह शपथ-पत्र श्रीमानजी की सेवामे पेश कर रहा हूं।
- (2) यह कि वाद-पत्र मे दर्ज समस्त तथ्य इस शपथ-पत्र मे पढे जावे।
- (3) यह कि वाद-पत्र के आधार इस शपथ-पत्र के आधार माने जावे।

दिनांक: 27/9/21

Vikram

तस्दीक

मै, विक्रम पुत्र श्री शिव प्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आज बमुकाम नवलगढ शपथपूर्वक तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त शपथ-पत्र मेरी स्वयं की जानकारी मे सही व सत्य है।

दिनांक: 27/9/21

Vikram

gd
Amphal

ATTESTED


OATH COMMISSIONER
NAWALGARH

Vikram